


2019

पत्रावली
अवकाश/दौरे/बाहर माटग में पधार ह।
मिसल दिनांक 16/10/24 को पेश हो।

16/10/24 -

वकील वाली उपस्थित। परिचारी वकील
 उपस्थित। वकील पक्षधारण की कदम
 वही गरी।
 वही पर मजदूर किया गया। पत्रावली पर उपस्थित
 दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। समझा -
 विवेक के आधार पर कानूनी कानूनी सं. 1 की कृपया
 है। जिस पर प्राथमिकता के कारण प्राप्त किया गया
 है। जो उचित नहीं है। कानूनी सं. 1 के अंतर्गत
 है। उक्त के अंतर्गत शर्तों की विवेक माह्याई -
 निवेदन का पत्र का अवलोकन नहीं है। अतः
 प्राथमिकता का प्रथम इच्छा मामलों के सुविधा का
 संवृत्त प्राथमिकता के पक्ष में नहीं होकर कानूनी प्राथमिकता के
 पक्ष में उतीर देना है। अतः प्राथमिकता का प्राथमिकता
 प्राथमिकता का शर्तों किया जाता है प्राथमिकता
 प्राथमिकता के अंतर्गत प्राथमिकता रखता है।


 उपखण्ड अधिकारी रियांवडी
 जिला-नागौर